रजिस्ट्री सं० डी एल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED NO. DL (N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 14--फरवरी 20, 2004 (माघ 25, 1925)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 14 –FEBRUARY 20, 2004 (MAGHA 25, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	143
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	155
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	121
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड--(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृतपाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	113
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	361
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	265
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	43
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 143

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Gnvernment of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 155

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. *

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 121

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of special character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

Page

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defense .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 113

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 361

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. —

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 265

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 43

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

*Pages not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2004

संकल्प

विषय : कांचीपुरम, तमिलनाडु में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान की स्थापना ।

सं० एफ० 15-1/2003 टी एस-1—वैश्वीकरण से पूरे विश्व में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं में एकरूपता आई है । भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वजह से घरेलू बाजार के लिए भी हमारे निर्माताओं को विश्व बाजार से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है । इसके परिणामतः अग्रणी प्रौद्योगिकी/गुणवत्ता और अनिवार्यता कम लागत वाले अच्छे उत्पाद अपेक्षित होंगे । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित जन शक्ति महत्वपूर्ण है । उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित उक्त उल्लिखित कौशल से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने तमिलनाडु के कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

2. यह संस्थान अपने शैक्षिक कार्यक्रम सत्र 2004-2005 से शुरू करेगा ।

3. संस्थान के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश इंजीनियरी परीक्षा-2004 के आधार पर किए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति तमिलनाडु सरकार को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को वृहद प्रचार हेतु प्रैस सूचना ब्यूरो में भी भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० एस० पाण्डेय,
संयुक्त सचिव

दिनांक 3 फरवरी 2004

संकल्प

विषय : जबलपुर, मध्यप्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान की स्थापना ।

सं० एफ 26-1/2003 टी एस-1—वैश्वीकरण से पूरे विश्व में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं में एकरूपता आई है । भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वजह से घरेलू बाजार के लिए भी हमारे निर्माताओं को विश्व बाजार से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है । इसके परिणामतः अग्रणी प्रौद्योगिकी/गुणवत्ता और अनिवार्यता कम लागत वाले अच्छे उत्पाद अपेक्षित होंगे । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित जन शक्ति महत्वपूर्ण है । उच्च विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित उक्त उल्लिखित कौशल से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

2. यह संस्थान अपने शैक्षिक कार्यक्रम सत्र 2004-05 से शुरू करेगा ।

3. संस्थान के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश इंजीनियरी परीक्षा-2004 के आधार पर किए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मध्य प्रदेश सरकार को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को वृहद प्रचार हेतु प्रेस सूचना ब्यूरो में भी भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी० एस० पाण्डेय
संयुक्त सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक

सं० 4/1/2003-एम II(एसएम)—भारत सरकार खान मंत्रालय की अधिसूचना सं० 4/1/2003 जिसे दिनांक 14 जून 2003 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशित किया गया था, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(क) नियम I में "वर्ग II (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में पद)", शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि को हटाया जाता है।

"(i) कनिष्ठ-भू-जलविज्ञानी (वैज्ञानिक ख), ग्रुप "क"।"

(ख) कनिष्ठ भू-जलविज्ञानी (वैज्ञानिक ख), ग्रुप "क" से संबंधित अन्य प्रविष्टियां जोकि नियमावली के भिन्न-भिन्न भागों में प्रकाशित की गयी, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, को भी हटाया जाता है :—

(i) नियमावली 6(ख)

(ii) परिशिष्ट II-पैरा 6

(iii) परिशिष्ट III-पैरा 2(1)(क) से (च)

(ग) नियमावली के प्रचलित नियम 14 को निम्नलिखित नियम 14 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

14 (1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जानी वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक (जो बाद में सामान्य अर्हक मानक कहलाएगा) निर्धारित करेगा। आरक्षित रिक्तियों पर अ० जा०, अ० ज० जा० और अ० पि० व० के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग सामान्य अर्हक मानक में छूट दे सकता है।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

(2) सेवा आवंटन के समय, अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं।

(3) आयोग अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी कमी को ध्यान में रखते हुए अर्हक मानकों को और कम कर सकता है और इस नियम के प्रावधानों से उत्पन्न आरक्षित रिक्तियों पर किसी उम्मीदवार के अधिशेष हो जाने पर आयोग, उप नियम (4) और (5) में निर्धारित ढंग से अनुशंसा कर सकता है।

(4) उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, आयोग प्रथम दृष्टया सभी वर्गों में रिक्तियों की कुल संख्या का ध्यान रखेगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या को घटाया जाएगा जिन्होंने उपनियम (1) के परन्तुक के शर्तों के अनुसार पात्रता या चयन मानदण्ड में किसी प्रकार की रियायत या छूट प्राप्त किए बिना योग्यता या निर्धारित सामान्य अर्हक मानक से अधिक योग्यता प्राप्त की है। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ आयोग उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची जारी करेगा जिसमें प्रत्येक वर्गों के अन्तर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में रैंक किए गए सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदण्ड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया। आरक्षित वर्गों में से, आरक्षित सूची में अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों प्रत्येक के उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक वर्गों में प्रारम्भिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रमिक संख्या के बराबर होगी ।

(5) उपनियम (4) में दिए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आवंटित किए जाएंगे और जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है वहां सरकार आयोग को इस अनुरोध के साथ मांग भेज सकती है कि वह आरक्षित सूची में से प्रत्येक श्रेणी में रिक्त रह गई रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से मांग की गई संख्या की बराबर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम अनुशंसा करें ।

विनोद कुमार
निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 30th January, 2004

RESOLUTION

Subject : Establishment of Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kancheepuram in Tamil Nadu.

F. No. 15-1/2003-TS.I– Globalization has created uniformity in customer expectations world over. With opening up of Indian economy, our manufacturing sector has to compete globally even for the domestic market. This world require strong products with leading technology/quality and compelling cost advantage. Suitably trained manpower is critical to achieve this goal. To meet the requirement for the skill set referred to above in the field of higher science and technology particularly in design and manufacturing, the Government of India has decided to set up an Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kancheepuram in Tamil Nadu.

2. The Institute will commence its Academic Programmes from Session 2004-05.

3. Admissions in the Under Graduate cources of the Institute will be done on the basis of All India Entrance Engineering Examination (AIEEE)-2004 conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to Government of Tamil Nadu.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to President's Secretariate, Prime Minister's Office and Cabinet Secretariate.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to UGC, AICTE and CBSE.

ORDERED also that tbe resolution be communicated to the Press Information Bureau for giving wide publicity.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. PANDEY
Joint Secy.

The 3rd February, 2004

RESOLUTION

Subject : Establishment of Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Jabalpur in Madhya Pradesh.

No. 26-1/2003-T.S.-I Globalization has created uniformity in customer expectations world over. With opening up of Indian economy, our manufacturing sector has to compete globally even for the domestic market. This would require strong products with leading technology/quality and compelling cost advantage. Suitably trained manpower is critical to achieve this goal. To meet the requirement for the skill set referred to above in the field of higher science and technology particularly in design and manufacturing, the Government of India has decided to set up an Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Jabalpur in Madhya Pradesh.

2. The Institute will commence its Academic Programmes from Session 2004-05.

3. Admissions in the Under Graduate courses of the Institute will be done on the basis of All India Entrance Engineering Examination (AIEEE)-2004 conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to Government of Madhya Pradesh.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to President's Secretariate, Prime Minister's Office and Cabinet Secretariate.

ORDERED that a copy of the resolution be sent to UGC, AICTE and CBSE.

ORDERED also that the resolution be communicated to the Press Information Bureau for giving wide publicity.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. PANDAY
Joint Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi the

No. 4/1/2003-MII(SM) -In the Notification of Government of India, Ministry of Mines No. 4/1/2003 dated 14th June 2003, published in Part-I, Section-1, of the Gazette of India, the Central Government hereby makes the following amendments :

(a) In Rule 1, under the heading "Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources)," the following entry is deleted :

(i) "Junior Hydrogeologists (Scientist B), Group 'A'."

(b) Other entries relating to the Post of Jr. Hydrogeologists (Scientist B), Group 'A', appearing in different Parts of the Rules as specified below are also deleted :--

(i) Rules 6(b)

(ii) Appendix II-Para 6

(iii) Appendix III, Para 2(1)(a) to (f)

(c) The existing Rule 14 is subsituted by the following Rule 14 :--

14(1) After interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up on the basis of the examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Backward Classes recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) The Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the manner prescribed in sub-rules (4) and (5).

(4) While recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso sub-rule (1). Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also declare a consolidated reserve list of candidates, which will include candidates from general and reserved categories ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule (1). Amongst the reservee categories, the number of candidates from each of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Class categories in the reserve list will be equal to the respective nnmber of vacancies reduced initially in each category.

(5) The candidates recommended in terms of the provision of sub-rule (4), shall be allocated by the Government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requesting it to recommend, in order of Merit, from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of filling up the unfilled vacancies in each category.

VINOD KUMAR, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
पूर्व प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004